

संख्या— /33-1-2023

प्रेषक,

अवधेश कुमार खरे,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

पंचायती राज,

उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-1

विषय:-उत्तर प्रदेश पंचायत सामान्य लाभ निधि की परामर्श समिति के लिये 05 प्रधान सदस्यों का मनोनयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपने पत्र संख्या-3/17/2022-3/6/ /43/79-प्रकाशन, दिनांक 30.01.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश पंचायत सामान्य लाभ निधि नियमावली, 1973 (यथा संशोधित) के नियम-7(1)(ख) के अन्तर्गत सामान्य लाभ निधि की धनराशि को व्यय करने की रोटि के बारे में सलाह देने सम्बन्धी समिति में राज्य सरकार ह्वारा निम्नलिखित 05 ग्राम प्रधानों को सदस्य रूप में नाम निर्दिष्ट किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

क्र.सं.	नाम	ग्राम पंचायत का नाम	जनपद	मो0 नं0
1.	श्री दिलीप त्रिपाठी	हंसडी औरानपुर	सिद्धार्थनगर	9450566110
2.	श्री ओमकार पाल	ऐरी रमपुरा	जालौन	7755813591
3.	श्रीमती नीरज	रायपुर दहेली	अलीगढ़	9957879592
4.	श्री देवानन्द परिहार	विप्रवली	आगरा	9917169278
5.	श्री अनिल कुमार गुप्ता	भटपुरा रसूलपुर	शाहजहांपुर	9792961111

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए उक्त ग्राम प्रधानों को उत्तर प्रदेश पंचायत सामान्य लाभ निधि की परामर्श समिति में नाम निर्दिष्ट किये जाने के सम्बन्ध में अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

25/01/2023

Signed by अवधेश कुमार चौर
 (अवधेश कुमार स्पृह
 Reason: Approved)
 समुक्त साधाव।